कार्यालय नियंत्रक नाप तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास भोपाल पिन – 462011

Tele- 0755-2551017 Fax – 0755-2768638 E-mail – cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 371 /नातौ/अ–1(1)/2018 भोपाल, दिनांक 25/01/2018

प्रति,

समस्त निरीक्षक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :– रवी विपणन वर्ष 2018–19 में गेहूं उपार्जन नीति के तहत् उपार्जन केन्द्रों एवं भंडार ग्रहों तथा भंडार ग्रहों के आस–पास के नाप–तौल उपकरणों एवं व्हे–ब्रिज (धर्मकांटा) के सत्यापन समय–सीमा में किये जाने बाबत्।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन के निर्देशानुसार रवी विपणन वर्ष 2018–19 में गेहूं उपार्जन नीति के तहत् समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य दिनांक 15.03.2018 से 26.05.2018 तक किया जाना निर्धारित है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त उपार्जन केन्द्रों की सूची जिला खाद्य विभाग / संबंधित विभाग से प्राप्त करें व उपार्जन केन्द्रों से संपर्क कर **समितियों के तौल यंत्रों का सत्यापन कार्य, उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक रूप से पूर्ण कर लें।** सत्यापन प्रमाण–पत्र में उपकरण का मेक (ब्रांड), केपेसिटी, ई–वेल्यू, मशीन नं. आवश्यक रूप से उल्लेख कर मौके पर ही प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जावे, क्योकि ई–प्रोक्यूरमेंट सॉफ्टवेयर में उपार्जन केन्द्रवार उपकरणों के सत्यापन की प्रविष्टि भी संबंधित केन्द्र प्रभारी/आपरेटर द्वारा की जाना नियत किया गया है।

जिले में स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन तथा स्टेट वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के जिला प्रबंधकों से संपर्क कर भंडार ग्रहों के व्हे–ब्रिज (धर्मकांटा) का **भी सत्यापन इसी समय–सीमा में** तथा ऐसे भंडार ग्रह जिनमें व्हे–ब्रिज (धर्मकांटा) **नहीं है / संचालन योग्य नहीं** है के आस–पास के व्हे–ब्रिज (धर्मकांटा) का निरीक्षण भी उनकें नियमानुरूप होने बाबत् किया जाये।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर उपार्जन केंद्रो का निरीक्षण भी किया जावे। ई–प्रोक्यूरमेंट सॉफ्टवेयर में निरीक्षण का विवरण अंकित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है जिसमें निरीक्षण दिनांक, निरीक्षणकर्ता एवं पायी गई स्थिति के विवरण की प्रविष्टि की जावेगी।

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल

पृ.क्र 372 /नातौ/अ–1(1)/2018 भोपाल, दिनांक 25/01/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त उप/सहायक नियंत्रक नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश की ओर उपार्जन केन्द्रों की सूची संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ निरीक्षकों से दिये गये निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही उपार्जन केंद्रो तथा भंडार ग्रहों पर सतत् निरीक्षण कर निरीक्षण का ब्यौरा ई–प्रोक्यूरमेंट सॉफ्टवेयर में भी प्रविष्ट करवाया जाये।
3. अधीक्षक/स्टेनो मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल, पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 373 /नातौ/अ-1(1)एफ-34/2018 भोपाल, दिनांक: 25/01/2018

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड),
   कृषि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश
2. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
   जहांगीराबाद, भोपाल मध्यप्रदेश
3. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,
   पर्यावास भवन, भोपाल मध्यप्रदेश
4. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन,
   गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल मध्यप्रदेश
5. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
   अपेक्स बैंक, न्यू मार्केट, भोपाल मध्यप्रदेश
6. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
   सहकारी संस्थाए, विंध्याचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

विषय :- रवी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूं उपार्जन नीति के तहत उपार्जन केन्द्रों के नाप-तौल उपकरणों एवं उपार्जन कार्य में लगे सभी धर्मकांटों के सत्यापन बावत्।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासन के निर्देशानुसार रवी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूं उपार्जन नीति के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य किया जाना है।

इसी अनुक्रम में अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ अमले को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह उपार्जन केंद्रों में उपयोग में लाए जा रहे नाप-तौल उपकरणों एवं धर्मकांटों का सत्यापन / मुद्रांकन कार्य संबंधित नाप-तौल निरीक्षक से उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व कराना जाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में तौल उपकरणों एवं कर्मकाटों के सुचारू रूप से संचालन हेतु इसका मेंटेनेन्स के लिये यथोचित व्यवस्था हेतु निर्माता कंपनी के सुधारक या अन्य सुधारक अनुज्ञप्तिधारियों की सेवाए लिये जाने का परामर्श है ताकि उपार्जन कार्य में कोई व्यवधान /.असुविधा न हो। ट्रक तौल कांटा (धर्मकांटा) के पुन: सत्यापन एवं मुद्रांकन हेतु विभागीय प्रक्रिया संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (1 पृष्ठ)

(एस.के.जैन)
नियंत्रक
नापतौल (विधिक मापविज्ञान),
म.प्र.,भोपाल

लगातार ....

क्रमांक 374 /नातौ/अ-1(1)एफ-34/2018 भोपाल, दिनांक 25 /01/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु आप अपने अधिनस्थ निरीक्षकों से उपरोक्तानुसार कार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित करावे साथ ही उपार्जन केंद्रो पर सतत् निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिवस में प्रेषित करें।
4. अधीक्षक/स्टेनो मुख्यालय की ओर प्रेषित।

नियंत्रक
नापतौल (विधिक मापविज्ञान),
म.प्र.,भोपाल

ट्रक तौल कांटा (धर्मकांटा) के पुन: सत्यापन एवं मुद्रांकन हेतु विभागीय प्रक्रिया

सामान्य

1. ट्रक तौल कांटा का उपयोग सामान्यत: वाहन (हल्के / भारी) को तौलने हेतु किया जाता है।
2. वर्तमान में लगभग सभी ट्रक तौल कांटे इलेक्ट्रानिक पद्धति से संचालित होते है। जिनमें 4 या 6 या 8 लोड सेल्स के माध्यम से वजन का निधारण इलेक्ट्रानिक इण्डीकेटर के द्वारा किया जाता है।
3. ट्रक तौल कांटे का निर्माण / विक्रय / सुधार कार्य बिना विभागीय अनुज्ञप्ति के किया जाना अवैध है।
4. समस्त ट्रक तौल कांटों का पुन:सत्यापन प्रत्येक 12 माह में कम से कम एक बार किया जाना नियमानुसार आवश्यक है।

प्रक्रिया (पुन:सत्यापन हेतु)

1. प्रत्येक धर्मकांटे के उपयोगकर्ता को पूर्व में ही जारी सत्यापन प्रमाण पत्र में अंकित अगली शोध तारीख से कम से कम एक माह पूर्व धर्मकांटे की क्षमता अनुसार पुन:सत्यापन शुल्क की राशि को चालान / ई-चालान / नगद रसीद के माध्यम से जमा कर सूचना एवं पूर्व में जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति जमा रसीद के साथ विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
2. उपयोगकर्ता क्षेत्रीय निरीक्षक नाप-तौल से संपर्क कर पुन:सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित करवायेगा।
3. उपयोगकर्ता निर्धारित तिथि को कांटा साफ सुथरी हालत में तैयार करेगा।
4. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अनुसार प्रत्येक धर्मकांटे पर उपयोगकर्ता एक टन के सत्यापित व मुद्रांकित बांट रखेगा, इसके अतिरिक्त निर्देशानुसार बेब्रिज की क्षमता के कम से कम चौथाई क्षमता के परीक्षण बांट या उससे अधिक परीक्षण बांट उपलब्ध करायेगा जा कि सत्यापित व मुद्रांकित होगे।
5. बांटों की उठाई धराई हेतु आवश्यक श्रम साधन स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करायेगा तथा वेब्रिज के अधिकृत मैकेनिक / सुधारक की उपस्थिति भी सुनिश्चित करेगा।
6. निर्धारित तिथि को निरीक्षक नाप-तौल धर्मकांटे की सत्यता की नियमानुसार जांच कर धर्मकांटे का सत्यापन व मुद्रांकन कर सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेगा। जॉच समय धर्मकांटा नियमानुसार नहीं पाये जाने की अवस्था में निरीक्षक वह धर्मकांटा संबंधित उपयोक्ताको उसमें पाई गई त्रुटियों की जानकारी देते हुए और उन त्रुटियों को सात दिन से अनधिक की कालावधि के भीतर दूर करने की अपेक्षा करते हुए लौटा दिया जायेगा। आवश्यक समायोजन उपरान्त पुन:विनिर्दिष्ट फीस के प्रदाय कर दिये जाने पर सत्यापन किया जाएगा और यदि मानकों के अनुरूप पाया जाए तो मुद्रांकन किया जाएगा।
7. उपयोगकर्ता सत्यापन प्रमाण पत्र को धर्मकांटे के परिसर में सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित करेगा।
8. उपयोगकर्ता धर्मकांटे के पास नियमानुसार 1 टन के सत्यापित एवं मुद्रांकित बाट रखेगा जिसके द्वारा उपयोगकर्ता स्वयं तथा अपने उपभोक्ताओं को संतुष्टि के लिये धर्मकांटे की सत्यता / यथार्थता की जॉच करवा सके।

नियंत्रक
नापतौल (विधिक मापविज्ञान),
म.प्र.,भोपाल